{राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के राजपत्र के असाधारण अंक भाग–II, खण्ड–1 में दिनांक 14 जनवरी, 2015 को प्रकाशनार्थ}

कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कालेज भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006

सं0मु0चु0अ0/चु सं0/102(9)/2015/ 3636 दिनांक:14-01-2015

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली–110001

दिनांक : 14 जनवरी, 2015
24 पौष, 1936, (शक)

अधिसूचना

सं0 464/दिल्ली.–वि0स0/2015 :– यतः, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप राज्यपाल द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप–धारा (2) के अधीन जारी और 14 जनवरी, 2015 (बुधवार) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा की गई है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित किए जाएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा :–

(अ) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, उक्त निर्वाचन के सम्बंध में निम्नलिखित नियत करता है :–

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	: 21 जनवरी, 2015 (बुधवार)
(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	: 22 जनवरी, 2015 (गुरूवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	: 24 जनवरी, 2015 (शनिवार)
(घ) वह तारीख, जिस दिन यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा	: 07 फरवरी, 2015 (शनिवार)
(ड.) वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	: 12 फरवरी, 2015 (गुरूवार); और

(आ) 8.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा ।

आदेश से,

(शंगारा राम)
वरिष्ठ प्रधान सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

आदेश से

(चन्द्र भूषण कुमार)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

{राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के राजपत्र के असाधारण अंक भाग–II, खण्ड–1 में दिनांक 14 जनवरी, 2015 को प्रकाशनार्थ}

कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली ।

पुराना सेंट स्टीफन कालेज भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110 006

स०मु०चु०अ०/चु० सं०/102(9)/2015/ 3635 दिनांक 14 जनवरी, 2015

<u>अधिसूचना</u>

यत; भारत के राष्ट्रपति ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 239क ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा को दिनांक 4 नवम्बर, 2014 को विघटित कर दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप–धारा (1) की शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन से साधारण निर्वाचन कराया जाना है;

यतः, अब, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सिफारिश की गई है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप–धारा (2) के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप राज्यपाल, एतद्द्वारा, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा करते हैं कि उक्त अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित किए जाएं।

उप राज्यपाल के नाम से एवं उनके आदेश द्वारा,

अरविंद रे

(अरविंद रे)
प्रधान सचिव, (गृह),
दिल्ली सरकार